न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 07 / 2022 – रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डल	बनाम	1. लक्ष्मण पिता मोती कुमावत 2. नेनू पिता पेमा कुमावत निवासीयान खेडीमाता तहसील करेडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.11.2025

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स / एल.आर. / 4914 / 2020 / भीलवाडा सरकार बनाम लक्ष्मण निर्णय दिनांक 13.04.2022 में अंकन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट करे कि उक्त आवंटन को किस नियम के तहत बाधित होना प्रमाणित होता हैं तथा किस नियम के तहत उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना उचित होगा। प्रकरण को समस्त राजस्व रिकार्ड से परीक्षण करावे तदनुसार अलोटमेंट ऑफ लैण्ड फोर डिगिंग ऑफ वेल एण्ड इन्टालिंग ऑफ पम्पिंग सेट फोर इरीगेशन रूल 1979 में अंकित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये विधि सम्मत निर्णय लेवें।

तहसीलदार करेडा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार –

1. जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 में प्रश्नगत आराजी नंबर 1 रकबा 32.16 बीघा भूमि नदी कोठारी दर्ज हैं।
2. ग्राम खेड़ीमाता तहसील करेडा के आराजी नंबर 428 / 1 रकबा 0.03 बीघा भूमि किस्म गै0मु0चाह वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के खाता सं0 127 अनुसार विपक्षीगण के गैर खातेदारी लीज होल्ड़र के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं। उपरोक्त आराजी नंबर की किस्म पूर्व में गै0मु0नदी दर्ज थी, जो विपक्षीगण के नाम दिनांक 04.01.2001 को आवंटन / नियमन की गई थी।
3. प्रशासन गॉव के संग अभियान–2001 में प्रभारी अधिकारी, पंचायत समिति क्षेत्र माण्ड़ल के प्रकरण सं0 01 / 2001 दिनांक 04.10.2001 से विपक्षीगण द्वारा आ0नं0

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

21.11.25

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

1 में रकबा 0.03 बीघा भूमि पर खोदे गये कुएं को सशर्त नियमित किया गया हैं। नियमन आदेश में भूमि की किस्म गै0मु0नदी अंकित हैं।

4. नियमन आदेश की पालना में खोले गये नामान्तरकरण सं0 160 में आराजी नं0 1 मी रकबा 32.12 बीघा की किस्म गै0मु0नदी दर्ज हैं। उक्त नामान्तरकरण में आ0नं0 428/1 रकबा 0.03 बीघा को विपक्षीगण के नाम गै0मु0आचा दर्ज किया गया, जो दिनांक 04.10.2001 को स्वीकृत हुआ हैं।
5. राजस्व अभिलेख में जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में प्रश्नगत आराजी नंबर 428/1 रकबा 0.03 बीघा भूमि विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक (लीज पर) के रूप में अभिलिखित है। जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 में प्रश्नगत आराजी नंबर 1 रकबा 32.16 बीघा भूमि नदी कोठारी दर्ज हैं।
6. जमाबंदी संवत् 2024 से 2029 में प्रश्नगत आराजी नंबर 1 रकबा 32.16 बीघा भूमि नदी कोठारी दर्ज हैं।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./4914/2020/भीलवाडा सरकार बनाम लक्ष्मण निर्णय दिनांक 13.04.2022 रेफरेन्स प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 27.07.2022 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के लगातार अनुपस्थित रहे हैं। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली का आद्योपान्त परीक्षण किया गया, जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम खेडीमाता तहसील माण्डल (करेडा) के आराजी नंबर 1 रकबा 32.16 बीघा किस्म नदी संवत् 2024 से 2029, 2033 से 2036 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी, जो विपक्षीगण को दिनांक 04.10.2001 को कुएं हेतु 03 बिस्वा नियमन की गयी।

प्रार्थी तहसीलदार करेडा ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशों के अनुरूप संवत् 2024 से 2029, 2033 से 2036 की जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं। ग्राम खेड़ीमाता तहसील करेडा के आराजी नंबर 428/1 रकबा 0.03 बीघा भूमि किस्म गै0मु0चाह वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के खाता सं0 127 अनुसार विपक्षीगण के गैर खातेदारी लीज होल्डर के रूप में दर्ज रिकाड़ हैं। उपरोक्त आराजी नंबर की किस्म पूर्व में गै0मु0नदी दर्ज थी, जो विपक्षीगण के नाम अलोटमेन्ट ऑफ लेण्ड फोर डिगिंग ऑफ वेल एण्ड इन्स्टालिंग ऑफ पम्पिंग सेट फोर इरोगेशन रूल्स 1979 के नियम 12 ए के तहत दिनांक 04.01.2001 को आवंटन/नियमन की गई थी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत नियमित की गई भूमि की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन नियमों के विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है एवं भूमि की किस्म को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाना आवश्यक हैं। उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है

21.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग किस्म नदी दर्ज रिकार्ड थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम खेडीमाता तहसील करेडा के आराजी नं. 1 रकबा 66.18 बीघा भूमि किस्म नदी बिलानाम गैर काबिल काश्त के खाते में जमाबंदी संवत् 2024 से 2029, 2033 से 2036 में दर्ज रिकार्ड थी जिसमें से 0.03 बिस्वा भूमि उपखण्ड अधिकारी माण्डल ने दिनांक 04.01.2001 को अलोटमेन्ट ऑफ लेण्ड फोर डिगिंग ऑफ वेल एण्ड इन्स्टालिंग ऑफ पम्पिंग सेट फोर इरोगेशन रूल्स 1979 के नियम 12 ए के तहत विपक्षीगण को नियमन की, जो विधि विरूद्व होकर प्रारम्भ से ही शून्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं0 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव–

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, करेडा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम खेड़ीमाता तहसील करेडा के आराजी नंबर 428/1 रकबा 0.03 बीघा भूमि किस्म गै0मु0चाह वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के खाता सं0 127 से विपक्षीगण का नाम हटाया जाकर पुनः गे.मु. नदी अंकित कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.11.25
(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)